(2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा मुकाम दौसा

[illegible] ....बनाम..........

प्र.स.:– 05/2022

निर्णय दिनांक :– 12.04.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लवाण जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :– कनक जैन (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 05/2022

1. [illegible] पुत्र ईशरा
2. [illegible] पुत्र रामजीलाल
3. बाबूलाल पुत्र रामजीलाल
4. [illegible] पुत्र रामजीलाल

समस्त जाति गुर्जर निवासी हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा तहसील लवाण जिला दौसा (प्रार्थीगण)

बनाम

1. पटवारी हल्का मांडेडा सुनारपुरा तहसील लवाण जिला दौसा।
2. तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा।
3. [illegible] पुत्र भौरीलाल
4. [illegible] पुत्र भौरीलाल
5. [illegible] पुत्र भौरीलाल

समस्त जाति गुर्जर निवासी हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा तहसील लवाण जिला दौसा (अप्रार्थीगण)

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध तहसीलदार तहसील लवाण बाबत वाके ग्राम हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा तहसील लवाण।

उपस्थित :– 1. श्री विनोद कुमार विजय एवं श्री प्रदीप [illegible], अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री राजकुमार तिवाडी, [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:07:57 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 12.04.2022

:: निर्णय ::

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि ग्राम हरियाण उर्फ हरनाथपुरा तहसील लवाण स्थित कृषि भूमि वर्तमान ख.न. 596 रकबा 1.0600 है0, ख.न. [illegible] रकबा 1.7400 है. ख.न. 598 रकबा 1.1700 है0 जिसके सेटलमेन्ट पूर्व ख.न. 83 थे। [illegible] पर प्रार्थीगण एवं इनके बुर्जुगो का कब्जा चला आ रहा है। उक्त वर्णित

(2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा मुकाम दौसा

[illegible] बनाम [illegible]

प्र.स.:– 05/2022
निर्णय दिनांक :– 12.04.2022

[illegible] खातेदारी भौरया पुत्र मूल्या जाति गुर्जर निवासी हरियाण उर्फ हरनाथपुरा [illegible] है। अप्रार्थी सं. 03 लगा0 05 भौरीलाल पुत्र चन्दा के वारिस है और इनके [illegible] नाम भौरया पुत्र मूल्या नही है किन्तु फर्जी तरीके से उक्त भौरीलाल पुत्र चन्दा [illegible] भौरया पुत्र मूल्या के वारिस बनकर, उक्त वर्णित भूमि का विरासत का [illegible] अप्रार्थी सं. 01 व 02 के माध्यम से तस्दीक करवाने को आमादा है। जिसका [illegible] को कोई अधिकार नही है।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण न्यायालय में पेश होने [illegible] किया गया तथा अप्रार्थीगणो की तलवी की गई। पैरोकार सरकार से [illegible] तलब की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया की ग्राम हरियाण उर्फ [illegible] स्थित कृषि भूमि वर्तमान ख.न. 596 रकबा 1.0600 है0, ख.न. [illegible] है0, ख.न. 598 रकबा 1.1700 है0 जिसके सेटलमेन्ट पूर्व ख.न. 83 थे। [illegible] पर प्रार्थीगण एवं इनके बुर्जुगो का कब्जा चला आ रहा है। उक्त वर्णित [illegible] खातेदारी भौरया पुत्र मूल्या जाति गुर्जर निवासी हरियाण उर्फ हरनाथपुरा [illegible] है। अप्रार्थी सं. 03 लगा0 05 भौरीलाल पुत्र चन्दा के वारिस है और इनके [illegible] नाम भौरया पुत्र मूल्या नही है किन्तु फर्जी तरीके से उक्त भौरीलाल पुत्र चन्दा [illegible] भौरया पुत्र मूल्या के वारिस बनकर, भौरया पुत्र मूल्या का बिना मृत्यु प्रमाण पत्र [illegible] व्यक्ति को मृत दिखाकर, फर्जी रिकार्ड व शपथ पत्र के आधार पर भौरया [illegible] उक्त वर्णित खातेदारी भूमि को अपने नाम नामान्तरकरण भरवाकर तस्दीक [illegible] है। भौरीलाल पुत्र चन्दा के नाम से अपने पिता चन्दा की विरासत में [illegible] उक्त भौरीलाल के पिता का नाम सभी रिकार्ड यथा वोटर लिस्ट, मतदाता [illegible] आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि सभी में चन्दा ही नाम अंकित है। कही [illegible] पुत्र चन्दा उर्फ मूल्या अंकित नही है। [illegible] कोई नामान्तरकरण [illegible] उक्त नामान्तरकरण को [illegible] अवसर [illegible] सबूत पेश करने का [illegible] करना चाहिए, किन्तु [illegible] द्वारा ऐसा नही किया जा रहा है। अतः [illegible] स्थ न्यायालय तहसीलदार [illegible] ग्राम हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा तहसील लवाण स्थित कृषि [illegible] का भौरया पुत्र मूल्या की विरासत का नामान्तरकरण उसका मृत्यु [illegible] ही भौरीलाल पुत्र चन्दा के वारिस अप्रार्थी नम्बर 03 लगा0 05 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:07:57 IST
Reason: SelfAttested

(2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा मुकाम दौसा

[illegible] बनाम [illegible]

प्र.स.:– 05/2022
निर्णय दिनांक :– 12.04.2022

[illegible] की कार्यवाही को किसी दीगर सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के [illegible] का निवेदन किया है।

[illegible] के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 03 लगा0 05 ने कथन किया की [illegible] उर्फ हरनाथपुरा तहसील लवाण स्थित कृषि भूमि वर्तमान ख.न. 596 रकबा 1. [illegible] ख.न. 597 रकबा 0.7400 है0, ख.न. 598 रकबा 1.1700 है0 जिसके सेटलमेन्ट पूर्व [illegible] का खातेदार भौरया पुत्र मूल्या जाति गुर्जर के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज है, [illegible] प्रार्थीगण से कोई लेना देना एवं कोई वास्ता नही है और ना ही भौरया पुत्र मूल्या [illegible] का कोई संबंध है। उक्त भूमि पर पूर्व में भौरया पुत्र मूल्या जाति गुर्जर खातेदार [illegible] काश्त तथा वर्तमान में अप्रार्थी सं. 03 लगा0 05 भौरया पुत्र मूल्या के जीवनकाल [illegible] उक्त भूमि पर काश्त करते चले आये है तथा भौरया पुत्र मूल्या के कानूनन एवं [illegible] अप्रार्थीगण सं. 03 लगा0 05 है, जिसका प्रार्थीगण से कोई लेना देना नही है.। [illegible] भूमि ख.न. 596, 597, 598 कुल रकबा 2.97 है0 भूमि के साबिक ख.न. 83 के [illegible] दिनांक 09.07.1963 को भौरया पुत्र मूल्या जाति गुर्जर के नाम से अलाटमेन्ट [illegible] भौरया के वास्तविक पिता का नाम चन्दा था तथा भौरया के आवंटन के समय [illegible] के पुत्र नही होने के कारण भौरया ही देख–रेख करता था। उक्त [illegible] अप्रार्थी नंबर 03 लगा0 05 के पिता भौरया के नाम ही हुआ है। जिसका [illegible] प्रार्थीगण के पूर्वजो को किसी भी प्रकार का संबंध व वास्ता नही रहा है। [illegible] भौरया पुत्र चन्दा व भौरया पुत्र मूल्या एक ही व्यक्ति थे। अप्रार्थी संख्या [illegible] भौरया पुत्र मूल्या के विधिक वारिस होने कारण उक्त खातेदारी एवं कब्जे [illegible] भूमि का नामान्तरकरण खुलवाने के कानूनन अधिकारी है। अतः भौरया पुत्र मूल्या [illegible] का नामान्तरकरण अप्रार्थी सं. 03 लगा0 05 के हक में खाले जाने [illegible] तहसीलदार लवाण को आदेश फरमाने का निवेदन किया गया है।

[illegible] के पत्र क्रमांक भू.अ. [illegible] दिनांक 19.11.202[illegible] [illegible] उर्फ हरनाथपुरा तहसील [illegible] 597 रकबा 0.7400 है0, [illegible] भूमि वर्तमान [illegible] रिकार्ड वाके ग्राम हरियाण उर्फ [illegible] 1.1700 है0 भूमि मुताबिक राज[illegible] [illegible] गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड है। मृतक खातेदार [illegible] पुत्र चन्दा के वारिसान द्वारा वादग्रस्त उक्त भूमि के नामान्तरकरण बाबत प्रार्थना [illegible] किया गया। जिस पर अपेक्षित कार्यवाही बल्दियत में पिता का नाम मृत्यु प्रमाण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:07:57 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक मुकाम टोंक

अवान .... घासीराम वगै० .... बनाम पटवारी हल्का ...

प्र.स.:– 05 / 2022
निर्णय दिनांक :– 12.04.2022

पत्र से भिन्न होने के कारण नही की गई तथा विवादित नामान्तरकरण सम्बन्धित सुनवाई इस कार्यालय में जैरकार नही है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि ग्राम हरियाण उर्फ हरनाथपुरा तहसील लवाण स्थित कृषि भूमि वर्तमान ख.न. 596 रकबा 1.0600 है0, ख.न. 597 रकबा 0.7400 है0, ख.न. 598 रकबा 1.1700 है0 भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड वाके ग्राम हरियाण उर्फ हरनाथपुरा में भौरया पुत्र मूल्या जाति गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसका आवंटन भौरया पुत्र मूल्या जाति गुर्जर के नाम से साबिक ख.न. 83 के समय हुआ था। कार्यालय तहसीलदार लवाण में उक्त वादग्रस्त भूमि के नामान्तरकरण की अपेक्षित कार्यवाही बल्दियत में पिता का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र से भिन्न होने के कारण नही हुई है। जो उक्त वादग्रस्त भूमि पर अधीनस्थ कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही को उचित दर्शाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नामान्तरण अन्तर्गत धारा 54 लैण्ड रेवन्यू एक्ट चलने योग्य नही होने कारण, खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार लवाण उक्त वादग्रस्त भूमि के नामान्तरकरण की कार्यवाही को अपने स्वविवेक के आधार पर करने के हेतु स्वतंत्र है। तहसीलदार लवाण को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ठ लेख भण्डार जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

कनक जैन (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण

उप जिला कलक्टर
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:07:57 IST
Reason: SelfAttested